दिनांक 10 एवं 11–जनवरी, 2019 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा/डूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

सूडा के पत्रांक– 8935/110/तीन/97–VII दिनांक 03–01–2019, द्वारा निर्गत पत्र के माध्यम से दिनांक 10 व 11–जनवरी,2019 को समस्त जनपदों के परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारियों, सी0एल0टी0सी0 एवं शहर मिशन प्रबन्धकों के साथ सूडा द्वारा संचालित योजनाओं– प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन तथा अन्य सभी योजनाओं की जनपदवार विस्तृत समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक का बिन्दुवार कार्यवृत्त निम्नवत् हैः–

सर्वप्रथम समीक्षा बैठक में अभिकरण मुख्यालय की अनुमति प्राप्त किये बिना परियोजना अधिकारी, डूडा–मेरठ के बैठक में अनुपस्थित रहने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी एवं सम्बन्धित का स्पष्टीकरण प्राप्त करने निर्देश दिये गये।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिये आवास–

1. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत 2.00 लाख आवासों का लक्ष्य दिनांक 25.02.2019 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये।
2. समीक्षा बैठक में सभी डी0पी0आर0–पी0एम0सी0 को निर्देश दिये गये कि BLC(New) के अन्तर्गत बड़े जनपदों में 2000 आवासों की नई डी0पी0आर0 तथा छोटे जनपदों में 1000 आवासों की नई डी0पी0आर0 तैयार कराना सुनिश्चित करें।
3. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण–पत्र के संबंध में जनपदवार विस्तृत समीक्षा की गयी तथा निर्देश दिये गये कि जिन जनपदो ने जनपद स्तर से व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण–पत्र अभी तक मुख्यालय को प्रेषित नही किये है वे तीन दिवस में उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त योजनान्तर्गत जो भुगतान **Payment By Higher Agency** के माध्यम से किया गया है उसका प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर परियोजना निदेशक से हस्ताक्षरित कराते हुए एक सप्ताह में मूल–प्रति मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यह भी निर्देश दिये गये कि प्रत्येक सप्ताह के अन्त में यू0सी0/प्रमाण–पत्र मुख्यालय को प्रेषित किये जायें।
4. समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि जिन जनपदों में जियोटैग की संख्या एवं अन्तरित धनराशि के लाभार्थियों की संख्या में अधिक अन्तर है वे एक सप्ताह में पात्र/अपात्र लाभार्थियों की जांच कराते हुये धनराशि अन्तरित कराना सुनिश्चित करें साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि जियोटैग के पूर्व पात्र/अपात्र की जांच अवश्य करा ली जाए।
5. समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत ऐसे जनपद जहाँ आवासों की प्रगति खराब है एवं स्थानीय स्तर पर संस्था का कार्य संतोषजनक नही है वहाँ मुख्यालय से टीम गठित कर सम्बन्धित जनपदों में भेज कर जॉच करा कर समस्याओं का निराकरण किया जाये।
6. प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत जनपदों को अवमुक्त की गयी धनराशि के ब्याज की धनराशि किसी भी दशा में व्यय न की जाय तथा विवरण सहित लेखांकन करते हुए उक्त धनराशि मुख्यालय को वापस करना सुनिश्चित किया जाये।
7. जनपद वाराणसी में 5000 आवासों का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये तथा संबंधित संस्था के प्रमुख को विशेष प्रयास कराते हुए अतिरिक्त स्टॉफ लगाकर कार्य पूर्ण कराने के भी निर्देश दिये गये।
8. समीक्षा बैठक में जनपद– औरैया, फिरोजाबाद, शामली, कौशाम्बी, गाजीपुर तथा चन्दौली के सी0एल0टी0सी0 को एक सप्ताह में कार्य में सुधार लाने हेतु नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये।
9. जनपद–कुशीनगर में योजनान्तर्गत वित्तीय अनियमितता की शिकायत पाये जाने के कारण सम्बन्धित सी0एल0टी0सी0 को तत्काल प्रभाव से हटाने का नोटिस देने के निर्देश दिये गये।
10. समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि सभी डी0पी0आर0–पी0एम0सी0 सम्बन्धित जनपदों में परियोजना अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर पर्याप्त स्टाफ लगायें ताकि लक्ष्यों की पूर्ति ससमय की जा सके।
11. समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि सभी जनपदों से पूर्ण आवासों के फोटोग्राफ एवं लाभार्थी सूची प्रत्येक दशा में दिनॉक 31.01.2019 तक सूडा, मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

12. सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि यदि उनके जनपद में चयनित कार्यदायी संस्था ठीक प्रकार से कार्य नही कर पा रही है तो उसे जिलाधिकारी की अनुमति से तत्काल हटाकर अन्य संस्था का चयन किया जा सकता है जिससे कि योजनान्तर्गत आपेक्षित प्रगति लायी जा सके।
13. समीक्षा बैठक में सभी परियोजना अधिकारियों एवं सी0एम0एम0 को निर्देशित किया गया कि जनपदों में जितने लाभार्थियों को द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है उन सभी को तृतीय लेबल जीयोटैग कराते हुए एक सप्ताह में तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करना सुनिश्चित किया जाये।
14. समीक्षा बैठक में अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का निरन्तर अनुश्रवण मा0 प्रधानमंत्री कार्यालय एवं मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किया जा रहा है, अतः निर्माण कार्यो की गुणवत्ता प्रत्येक दशा सुनिश्चित की जाये।
15. योजनान्तर्गत लाभार्थी को आवासीय सुविधा प्रदान करने के साथ–साथ केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी कन्वर्जेन्स के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित् किया जाये।
16. समीक्षा बैठक में सभी परियोजना अधिकारियों, कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि वे जियो टैग की प्रगति का दैनिक/साप्ताहिक अनुश्रवण सुनिश्चित करें।
17. स्वीकृत आवासों के सापेक्ष जियो टैग हो चुके आवासों के मोडरेशन का कार्य सी0एल0टी0सी0 /सी0एम0एम0 द्वारा किया जायेगा।
18. सभी परियोजना अधिकारियों/कन्सलटेन्टस को निर्देशित किया गया कि वे आगामी 7 दिवस में चयनित पात्र लाभार्थियों का विवरण पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर हाई लेविल एजेंसी के माध्यम से सूडा मुख्यालय को अग्रसारित करना सुनिश्चित करें तथा जहाँ प्रथम किश्त की धनराशि अन्तरित की जा चुकी है एवं कार्य लिन्टल लेविल तक पहुंच गया है वहाँ द्वितीय किश्त की धनराशि नियमानुसार अन्तरित किये जाने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाये।
19. जिन निकायों में प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, उन निकायों के प्लान ऑफ एक्शन जनपद स्तरीय निगरानी समिति से कराने से पूर्व लाभार्थियों के समस्त प्रपत्र प्राप्त कर लें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)

उक्त के अतिरिक्त प्रमुख सचिव नगर विकास/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यकम विभाग द्वारा भी समीक्षा बैठक में निर्देश दिये गये कि प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आगामी 10–15 दिवस में विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक नयी डी0पी0आर0(बी.एल.सी.–एन) तैयार करायें एवं विशेषकर छोटी नगर पंचायतों का चयन करें जिससे अधिक से अधिक आवास स्वीकृत हो सकें। प्रदेश को पी0एम0 अवार्ड प्राप्त करने हेतु 1.00 लाख नये आवासों की डी0पी0आर0 तैयार कर स्वीकृत कराने की भी अपेक्षा की गयी।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

SM&ID- सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत शहरों में गठित समूहों, ए0एल0एफ0 को रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त किये जाने की प्रगति अत्यन्त धीमी पाये जाने पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिये गये कि अर्ह सभी SHG एवं ALF को शहरी समृद्धि उत्सव पखवाड़ा में चिन्हित कर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए सभी अर्ह SHG एवं ALF को 1 से 15, फरवरी, 2019 तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर RF अवमुक्त किये जाये तथा प्रमाण पत्र दिया जाये। SHG/ ALF को अर्हता पूरी होने पर लक्ष्य से अधिक संख्या में भी RF अवमुक्त किया जाये। धनराशि न होने की दशा में तुरन्त धनराशि की मांग की जाये। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर समूहों को नियमानुसार तत्काल RF अवमुक्त किया जाए। RF की धीमी प्रगति के कारण भारत सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त की जा रही है तथा प्रदेश की रैकिंग भी निरन्तर गिर रही है, जिसे तत्काल सुधारे जाने के निर्देश दिये गये तथा अवगत कराया गया कि सभी शहरों के पास इस घटक के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध है।

यह भी निर्देश दिये गये कि रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त सभी ए0एल0एफ0 एवं समूहों को आय सृजनात्मक कार्यो से सम्बद्ध किया जाय, महिलाओं की आय बढ़ाने हेतु कार्य किया जाय तथा जनपद हेतु निर्धारित "एक जनपद एक उत्पाद" से भी समूहों को सम्बद्ध किया जाये। आय सृजनात्मक कार्य कर रहे समूहों को विवरण पूर्व में भेजे गये प्रपत्रों पर वरीयता के क्रम में (सबसे अच्छे कार्य करने वाले SHG को सबसे ऊपर तथा तदानुसार

उसी क्रम में) तैयार कर प्रत्येक दशा में एस0यू0एल0एम0, सूडा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये। इस संबंध में निरन्तर दिये जा रहे निर्देशों के उपरान्त भी अनुपालन न किये जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल RF अवमुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये, साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि जनवरी, 2019 तक प्रत्येक दशा में सभी लक्ष्य पूर्ण किया जाये।

इस घटक के अन्तर्गत शहरों में संचालित शहरी आजीविका केन्द्रों (CLC) की प्रगति में पाया गया कि अधिकांश सी0एल0सी0 की प्रगति अपेक्षा के अनुरुप नहीं है। विगत 2 वर्षों से अधिक समय से संचालित सी0एल0सी0 को अब तक आत्म निर्भर हो जाना चाहिए था परन्तु CLC का संचालन गाइडलाइन के परिपेक्ष्य में किये जाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस पर गहरा असन्तोष व्यक्त करते हुए सी0एल0सी0 को बेहतर ढंग से संचालित किये जाने के सम्बन्ध मे भी निर्देशित किया गया कि CLC में पंजीकरण तेजी से कराया जाये। प्रचार–प्रसार के माध्यम से पंजीकृत व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराते हुए सी0एल0सी0 को आत्म निर्भरता की ओर ले जाया जाये। उक्त के साथ ही सी0एल0सी0 द्वारा समूहो के उत्पाद की गुणवत्ता को बेहतर बनाये जाने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान कर समूहो को भी सी0एल0सी0 में पंजीकृत कर उत्पादित उत्पादों की बिक्री सी0एल0सी0 के माध्यम से कराना सुनिश्चित किया जाये।

साथ ही Government e-Marketplace (GeM) पोर्टल के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री हेतु भारत सरकार द्वारा चयनित सी0एल0सी0 कानपुर के माध्यम से जनपदों से समूहवार विवरण इस कार्यालय के पत्र संख्या–4430/241/NULM/Teen/ 2001/SM&ID-CLC दिनांक 17.10.2018 के द्वारा सूडा उ0प्र0 एवं सी0एल0सी0 जोन–5 कानपुर नगर को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये है।

SUH- 1. शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत अवगत कराया गया है कि सभी शहरों/जनपदों द्वारा माह नवम्बर में अस्थाई शेल्टर होम की उपलब्ध करायी गयी सूची मा0 उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल कर दी गयी है तथा अस्थाई शेल्टर होम के संचालन हेतु अभिकरण मुख्यालय के पत्र सं0–8446 दिनांक 26.12.2018, 7676 दिनांक 05.12.2018 एवं 7050 दिनांक 16.11.2018 के द्वारा संचालन का निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में पुनः अपेक्षा की गयी कि अस्थायी शेल्टर होम का सुचारू रूप से संचालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अस्थाई शेल्टर्स की व्यवस्था कर शहर के सभी शहरी बेघरों को शेल्टर होम में लाना सुनिश्चित किया जाये। अवगत कराया गया है कि SLMC द्वारा वर्तमान में शहरो/निकायों से दैनिक आश्रय की क्षमता से बहुत कम औसतन लगभग 25ः लोगों का ही शेल्टर होम में आश्रय लिये जाने की प्राप्त हो रही सूचनाओं एवं संचालन व्यवस्था पर विभिन्न शहरों से प्राप्त फीडबैक पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मा0 उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेशों एवं शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी स्थाई एवं अस्थाई शेल्टर होम का सुचारू रूप से संचालन कराये जाने के निर्देश दिये गये, जिसका शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2. अवगत कराया गया कि विगत दिनांक 28.12.2018 को राज्य स्तरीय मानीटरिंग समिति की बैठक मा0 अध्यक्ष श्री बलविन्दर कुमार (प्प्ै सेवानिवृत्त)/सदस्य रेरा उ0प्र0 की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें वर्तमान में पड़ रही कड़ाके की ठण्ड के दृष्टिगत निर्देश दिये गये है कि निकाय एवं डूडा कर्मियों द्वारा रात्रि में अभियान के माध्यम से खुले में सो रहे शहरी बेघरों को स्थाई/अस्थाई शेल्टर होम में लाना सुनिश्चित कराया जाये तथा वरिष्ठ अधिकारी भी रात्रि में भ्रमण कर यह अवश्य देखें कि शहर/निकाय में कहीं कोई व्यक्ति खुले में किसी भी दशा में न सोयें। नगर निगम एवं बड़े शहर विशेष ध्यान देकर यदि वर्तमान में आवश्यकता से कम अस्थाई शेल्टर होम हो तो आवश्यकतानुसार अस्थाई शेल्टर होम की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

3. प्रकरण में विगत दिनांक 13.11.2018 एवं दिनांक 05.12.2018 को सुनवाई के दौरान मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए शहर में रह रहे सभी शहरी बेघरों को आश्रय उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। जिसके दृष्टिगत शहर में थर्ड पार्टी सर्वेक्षण के अनुसार भूमि चिन्हित कर के शेल्टर निर्माण की DPR स्वीकृत हेतु भेजी जाये। इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब न किया जाये।

4. DAY-NULM के निर्माण कार्य पूर्ण सभी शेल्टर्स को C&DS से नगरीय निकायों को तत्काल हस्तगत कराते हुए चयनित संस्थाओं के माध्यम से संचालन प्रारम्भ कराना सुनिश्चित किया जाये।

5. संचालित सभी शेल्टर होम (NULM & Non NULM) की शेल्टर प्रोफाइल MIS, SULM को तत्काल निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि शहर में संचालित NULM एवं नगर निगमों के सभी शेल्टर होम की प्रोफाइल GOI के पोर्टल पर अपलोड हो गयी है। NULM के घटक एस0यू0एच0 के अन्तर्गत निर्माण कार्य पूर्ण सभी शेल्टर होम का संचालन तत्काल चयनित संस्थाओं के माध्यम

से प्रारम्भ करा दिया जाये। शहर में संचालित सभी प्रकार के शेल्टर होम में रुकने वाले बेघरों की प्रत्येक दिवस निर्धारित प्रारुप पर 12 बजे अपराहन तक सूडा उ0प्र0 को suhnulmup@gmail.com पर प्रत्येक दशा में रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।

6. शेल्टर होम के संचालन हेतु SLMC के निर्देशानुसार एडवाजरी इस कार्यालय के पत्र संख्या–8965 दिनांक 04.01.2019 के द्वारा सभी को भेजा गया, जिसका अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

EST&P-

वित्तीय वर्ष 2015–16 में किये गये प्रशिक्षण के सेवायोजन एवं ट्रैकिंग के संबंध में:–

प्रशिक्षित एवं प्लेसमेन्ट किये गये सभी लाभार्थियों का सेवायोजन एवं सुचारू रूप से ट्रैकिंग करने के संबंध में नियमानुसार प्रदत्त निर्देशों के अनुसार समस्त कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए तत्पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जाये। सेवायोजित किये गये प्रशिक्षार्थियों की 12 माह की ट्रैकिंग से संबंधित प्रपत्र MIS पर अनिवार्य रुप से अपलोड किये जाये एवं संबंधित प्रपत्र की हार्ड कॉपी में संस्थावार CMMU/DUDA पर संकलित किया जाये।

असेसिंग बॉडीस को भुगतान के संबंध में:–

वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में प्रशिक्षार्थियों के किये गये असेसमेन्ट के सापेक्ष असेसिंग बॉडीस का कई शहरों में भुगतान किया जाना लम्बित है जिसके संबंध में भारत सरकार स्तर पर हुयी समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही लम्बित असेसमेन्ट भुगतानों को जारी किया जाय। उक्त के संबंध में कार्यालय के पत्र संख्या–614/241/NULM /तीन/2001/EST&P(SDI)AB-Vol-II दिनांक 11.05.2018 द्वारा असेसिंग बॉडीस के लम्बित भुगतानों को नियमानुसार शीघ्र जारी किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके है। उल्लेखनीय है कि शहरों को EST&P के अन्तर्गत जारी की गयी धनराशि में ही असेसमेन्ट लागत सम्मिलित है। अतः उक्त प्रकरण की गम्भीरता को संज्ञान में लेते हुए असेसिंग बॉडीस के लम्बित समस्त भुगतानों को यथाशीघ्र अवमुक्त किया जाए।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण:–

वित्तीय वर्ष 2015–16 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष कौशल प्रशिक्षण की द्वितीय एवं तृतीय किश्तों के भुगतान हेतु एन0एस0डी0सी0 द्वारा संबंधित शहरों को भुगतान हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये है। अभिकरण के पत्रांक–3624/241/NULM/Teen/2001(NSDC) दिनांक 24.09. 2018 द्वारा उक्त के संबंध में जारी विस्तृत निर्देशों के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण:–

वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शहरों में प्रारम्भ कौशल प्रशिक्षण के अन्तर्गत जिन बैचों का प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है उनको तत्काल एम0आई0एस0 पर उन बैचों को क्लोस किया जाये और प्रशिक्षार्थियों की असेसमेनट प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये। संबंधित एन0एस0डी0सी0 पार्टनर द्वारा संबंधित सेक्टर के सेक्टर स्किल कौंसिल (SSC) से सम्पर्क करते हुए असेसमेन्ट प्रक्रिया की जानी है। एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं हेतु 10.08.2018 को प्रथम 30 प्रतिशत किश्त के भुगतान हेतु संबंधित शहरों को धनराशि जारी की जा चुकी है, सभी शहरां से अपेक्षित है कि शीघ्र ही एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं का भुगतान सुनिश्चित किया जाये ताकि एसेसमेन्ट प्रक्रिया को गति प्राप्त हो सके।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में एन0एस0डी0सी0 पार्टनर संस्थाओं को आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष शहरों बुलन्दशहर, मैनपुरी, लखीमपुर, बाराबंकी एवं गाजीपुर में प्रशिक्षण कार्य नही प्रारम्भ नही हुआ है परन्तु एम0आई0एस0 पोर्टल पर प्रशिक्षार्थियों की इन्ट्री प्रदर्शित हो रही है, उक्त सभी शहरो को निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह के अन्दर उक्त प्रशिक्षार्थियों की इन्ट्री को हटाने की कार्यवाही पूर्ण करें।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कौशल प्रशिक्षण प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में:–

वित्तीय वर्ष 2018–19 में ई–टेण्डर निविदा के माध्यम से शहरवार इम्पैनल्ड कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं की सूची इस कार्यालय के पत्र संख्या–2247/241/NULM/Teen/2001 (EST&P)2017-18 दिनांक 20.07.2018 एवं कौशल प्रशिक्षण हेतु विस्तृत दिशा निर्देश पत्र संख्या–2498/241/NULM/Teen/2001(EST&P)2017-18 दिनांक 02.08.2018 एवं शहरवार लक्ष्यों का आवंटन पत्र संख्या–2511/241/NULM/ Teen/ 2001(EST&P)2017-18 दिनांक 02.08.2018 द्वारा जारी किये जा चुके है। सभी शहरों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्देशों के क्रम में 20.09.2018 तक सभी इम्पैनल्ड संस्थाओं को कार्यादेश जारी किये जाये और यथाशीघ्र प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

मासिक समीक्षा एवं शहरों से वार्ता के दौरान संज्ञान में आया है कि अधिकांश शहरों ने अभी प्रशिक्षण प्रारम्भ नहीं हुआ है। पत्रांक–2511 दिनांक 02.08.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु शहरवार लक्ष्यों को आवंटन किया गया है और उक्त पत्र में स्पष्ट अंकित किया गया है कि विततीय वर्ष 2018–19 की समाप्ति (31 मार्च, 2019) तक प्रत्येक दशा में भौतिक रुप से MIS पर प्रशिक्षण/बैचों को क्लोज अवश्य किया जाए। उपरोक्त के संबंध में पुनः मुख्यालय के पत्र संख्या–988 दिनांक 05.11.2018 के द्वारा सभी शहरों को निर्देश जारी किये गये है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति में 03 माह से कम समय रह गया है, इन्ही अवशेष 03 माह में प्रशिक्षण प्रारम्भ कर समाप्त किया जाना प्रत्येक दशा में अनिवार्य है। जिन शहरों में 31 मार्च, 2019 तक प्रशिक्षण कार्य (बैच क्लोज) समाप्त नहीं होगा, उन बैचों का भुगतान नहीं किया जायेगा और पूर्व में भुगतान की गई राशि भी वसूली जायेगी और प्रशिक्षण कार्य निर्धारित अवधि एवं तिथि तक समाप्त नहीं होने की दशा में परियोजना अधिकारी का व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी।

<u>SUSV-</u> DAY-NULM के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता योजना (SUSV) के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराया जाना मा0 मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता कार्यक्रमों में सम्मिलित है जिसकी निरन्तर समीक्षा शासन द्वारा की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2015–2016 में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने वाले 14 शहरों (सहारनपुर, मेरठ, वाराणसी, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, झांसी एवं आगरा) में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सी का अनुमोदन 02 वर्ष अधिक समय व्यतीत हो चुका है जबकि दिशा निर्देशानुसार 06 माह मे प्लान तैयार किया जाना है। उपरोक्त स्थिति को संज्ञान में लेते हुये निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में दिनांक 30.01.2019 तक नियमानुसार तैयार शहरी पथ विक्रेता प्लान को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक शहरी पथ विक्रेता प्लान उपलब्ध ना कराये जाने की दशा में उक्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों के खिलाफ योजना में अपेक्षित प्रगति नही होने के कारण विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने वाले 16 शहरों (बरेली, मऊ, मथुरा, जौनपुर, लोनी, बुलन्दशहर, उन्नाव, हापुड, शाहजहांपुर, सम्भल, मिर्जापुर, फैजाबाद, अमरोहा, हरदोई, फतेहपुर एवं उरई) में शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सी का अनुमोदन हुये लगभग 09 माह से 16 माह तक का समय व्यतीत हो चुका है जबकि दिशा निर्देशानुसार 06 माह मे प्लान तैयार किया जाना है। उपरोक्त स्थिति को संज्ञान में लेते हुये निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में दिनांक 30.01.2019 तक नियमानुसार तैयार शहरी पथ विक्रेता प्लान को राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक शहरी पथ विक्रेता प्लान उपलब्ध ना कराये जाने की दशा में उक्त जनपदों के परियोजना अधिकारियों के विरूद्व योजना में अपेक्षित प्रगति नही होने के कारण विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उक्त सभी शहरों को पुनः स्पष्ट किया गया कि एजेन्सी द्वारा सर्वेक्षित सभी पथ विक्रेताओं का बायोमैट्रिक सर्वे आवश्यक है। सर्वे के साथ पथ विक्रेताओं का आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 अवश्य लिया जाय, जिसके संबंध में निर्देश जारी किये जा चुके है। जिन शहरों में कुछ पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 सर्वे के दौरान प्राप्त नही हो पाये है, उन पथ विक्रेताओं के आधार कार्ड नं0 एवं मोबाइल नं0 प्राप्त करने हेतु कैम्पों, बैठको आदि का आयोजन किया जाये, जिन पथ विकेताओं के आधार एवं मोबाईल नं0 नही प्राप्त हो पाते है उनके पंजीकरण/आई कार्ड जारी करने के समय आधार एवं मोबाइल नं0 अनिवार्य रुप से लिये जाये और डाटाबेस में प्रविष्टि की जाय।

<u>लखनऊ, वाराणसी, मेरठ एवं सहारनपुर हेतु स्वीकृत विस्तृत क्रियान्वयन प्लान (DIP)</u> के सापेक्ष अगस्त, 2018 को प्रथम किश्त जारी की जा चुकी है। उक्त शहरों को निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र ही अवस्थापना निर्माण कार्य प्रारम्भ कराते हुए निर्धारित प्रपत्र (पत्रांक–477 दिनांक 30.10.2018) पर प्रगति मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

<u>वित्तीय वर्ष 2018–19 में चयनित 20 शहरों में शहरी पथ विक्रेताओं का सर्वे एवं शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने के संबंध में:–</u>

वित्तीय वर्ष 2018–19 में चयनित 20 शहरों यथा शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), मैनपुरी, एटा, हाथरस, कासगंज, रामपुर, चन्दौसी (सम्भल), बड़ौत (बागपत), खुर्जा (बुलन्दशहर), मोदीनगर (गाजियाबाद), शामली, बदायूँ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा एवं ललितपुर में शहरी पथ विक्रेताओं का सर्वे एवं शहरी पथ विक्रेता प्लान तैयार किये जाने हेतु एजेन्सियों का चयन

पत्रांक–3633/241/NULM/Teen/2001(SUSV) TC-Tender दिनांक 25.09.2018 द्वारा जारी किया गया है। उक्त शहरों को निर्देशित किया जाता है कि शीघ्र ही एजेन्सियों से सम्पर्क करते हुए कार्यादेश जारी करने एवं अनुबन्ध किये जाने ,की कार्यवाही पूर्ण करते हुए सूचना मुख्यालय को उपलब्ध कराये एवं अतिशीघ्र सर्वे कार्य प्रारम्भ किया जाय।

बदायूँ, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा एवं ललितपुर हेतु चयनित संस्था द्वारा कार्य न किये जाने की असमर्थता के कारण उक्त शहरों हेतु नवीन संस्था के चयन के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाने के सम्बन्ध में:–

शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र सं0–1134/241/एनयूएलएम/तीन/ 2001(एसयूएसवी) दिनांक 05.06.2018 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, इस निर्देश के अनुसार ही शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाने की समस्त कार्यवाही एक माह के अन्दर पूर्ण की जाये। शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी किये जाना सरकार के प्राथमिकता कार्यों में सम्मिलित है जिसके संबंध में शासन स्तर पर निरन्तर समीक्षा की जा रही है। अतः एस0यू0एस0वी0 के अन्तर्गत शहरी पथ विक्रेता हेतु किये जा रहे कार्यों वाले सभी 30 शहरों को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक दशा में सभी सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र (आई कार्ड) जारी कराया जाना एक माह के अन्दर सुनिश्चित किया जाय।

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) नियमावली 2017 के नियमों के अनुसार पथ विक्रेताओं को सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में किये जाने वाल कार्य:–

शहरी पथ विक्रेता नियमावली 2017 के अनुसार नियम–4 के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति का गठन, नियम–5 के अनुसार पथ विक्रेताओं के मध्य निर्वाचन की रीति, नियम–10 के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति के लिए कार्यालय, स्थल, कर्मचारी वर्ग और सचिव का उपबन्ध किया जाना, नियम–6(थ) के अनुसार नगर पथ विक्रय समिति द्वारा पथ विक्रेता चार्टर प्रकाशित करना, नियम– 25(1) के अनुसार पथ विक्रेताओं की शिकायतों का निवारण और विवादों के समाधान हेतु विवाद निवारण समिति का गठन, नियम–15 के अनुसार विक्रय परिक्षेत्रों (वेडिंग/नो वेडिंग जोन) का चिन्हांकन, नियम–12 के अनुसार पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण, नियम–13 के अनुसार पथ विक्रेताओं का पंजीकरण (प्रपत्र–2), नियम–14 के अुनसार पथ विक्रेताओं को पथ विक्रय प्रमाण पत्र जारी करना (प्रपत्र–3), नियम–22 के अनुसार पथ विक्रेताओं को परिचय पत्र (आई कार्ड) जारी करना (सूडा के पत्रांक–1134/241/NULM/Teen /2001(SUSV-CSVP) दिनांक 05.06.2018 द्वारा जारी पत्र में संलग्न शासन से अनुमोदित पहचान पत्र के प्रारुप पर) एवं नियम–6(छ) के अनुसार पथ विक्रेता योजना (प्लान) तैयार किया जाना आदि कार्य किये जाने है।

एस0यू0एस0वी0 घटक के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में चयनित 30 शहरों (लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, सहारनपुर, झांसी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, बरेली, अयोध्या–फैजाबाद, मथुरा–वृन्दावन, मुज्फ्फरनगर, मऊ, लोनी (गाजियाबाद), बुलन्दशहर, हापुड़, उन्नाव, मिर्जापुर, हरदोई, फतेहपुर, उरई, अमरोहा, शाहजहॉपुर, सम्भल, जौनपुर) एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में चयनित 30 अन्य शहर यथा शिकोहाबाद (फिरोजाबाद), मैनपुरी, एटा, हाथरस, कासगंज, रामपुर, चन्दौसी (सम्भल), बड़ौत (बागपत), खुर्जा (बुलन्दशहर), मोदीनगर (गाजियाबाद), शामली, बदायूँ, पीलीभीत, लखीमपुर, रायबरेली, सीतापुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, मुगलसराय (चन्दौली), गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बहराइच, गोण्डा, अकबरपुर (अम्बेडकर नगर), सुलतानपुर एवं देवीरया में उपरोक्त समस्त कार्यों को नियमावली 2017 के अनुरुप किया जाना है।

उपरोक्त सभी 60 शहरों में शहरी पथ विक्रेता नियमावली–2017 के अनुसार उपरोक्त सभी कार्य किये जाने है जिसके संबंध में सी0एम0एम0यू0–डूडा द्वारा संबंधित नगर निकाय से समन्वय करते हुए उपरोक्त सभी कार्यों को नियमावली के अनुसार सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित करायें।

मुख्यालय के पत्र संख्या–4353 दिनांक 16.10.2018 द्वारा निर्देश जारी किये गये कि उक्त शहरों में सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं को शासन की अपेक्षानुसार एवं उ0प्र0 पथ विक्रेता नियमावली, 2017 के अनुसार प्रत्येक दशा में दिनांक 15.11.2018 तक शहरी पथ विक्रेता प्लान मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाए और पथ विक्रेताओं को पथ विक्रेता प्रमाण पत्र (वेंडिग सर्टिफिकेट) एवं पहचान पत्र जारी किये जाए। शहरी पथ विक्रेता प्लान, वेडिंग प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र जारी किये जाने के संबंध में मुख्यालय को उपरोक्त सभी शहरों से सूचना अप्राप्त है जोकि अत्यन्त खेदजनक है।

भारत सरकार के आदेशानुसार DAY-NULM के अन्तर्गत सभी लाभार्थियों का आधार नं0 होना अनिवार्य है। जिन पथ विक्रताओं के पास आधार कार्ड नही है, उनके आधार कार्ड बनवाने मे सहायता की जाय और आधार कार्ड संख्या अवश्य अंकित की जाय। नगर पथ विक्रय समिति के माध्यम से उन्हें पथ विक्रय प्रमाण पत्र, परिचय पत्र, आदि भी जारी करवाने की कार्यवाही की जाय। सिटी स्ट्रीट वेंडिग प्लान योजना प्राधिकारी (विकास प्राधिकरण आदि) के परामर्श और टाउन वेडिंग कमेटी की सिफारिश पर नगर निगम/नगर पालिका परिषद द्वारा बनाये जाने का प्राविधान है। पथ विकेता प्लान को पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) अधिनियम 2014, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ क्रिय विनियमन) नियमावली 2017, उ0प्र0 पथ विक्रेताओं हेतु योजना 2016 तथा दीनदयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक पथ विक्रेताओं को सहायता के प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों के अनुरुप तैयार किया जायेगा। मॉडल प्लान एवं DIP के संबंध में विवरण वेबसाइट पर अपलोड है।

शहरी पथ विक्रेताओं के सर्वे, शहरी पथ विक्रेता प्लान एवं विस्तृत क्रियान्वयन प्लान तैयार कर रही एजेन्सियों को भुगतान हेतु मुख्यालय को प्रस्तुत किये जाने वाले मांग पत्र के साथ शहरी पथ विक्रेताओं की सूची (आधार एवं मोबाइल नं0 सहित) प्रस्तुत की जाये।

SEP – DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम (SEP-I) के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों बुलन्दशहर, सम्भल, ललितपुर, अमेठी (गौरीगंज), कौशाम्बी (मंझनपुर) एवं आजमगढ़ (मुबारकपुर) द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्यों कर प्राप्ति की गयी है। निदेशक महोदय द्वारा संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारियों की प्रशंसा की गई है। SEP-I के अन्तर्गत जनपद गाजियाबाद, रामपुर, कानपुर देहात, जालौन (उरई), फिरोजाबाद, महोबा, बागपत, बागपत (बड़ौत), बलरामपुर, फैजाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, चन्दौली, सिद्धार्थनगर, सुलतानपुर, श्रावस्ती (भिन्गा), हरदोई, कुशीनगर, भदोही (ज्ञानपुर), अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया एवं गाजीपुर के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सार्थक प्रयास करके निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष रणनीति बनाकर लक्ष्य की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें। लक्ष्य की पूर्ति माह जनवरी, 2019 के अन्त तक पूरा ना होने पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम के उपघटक (SEP-G) के अन्तर्गत जनपदों यथा बुलन्दशहर, चित्रकूट, सम्भल (चन्दौसी), बहराइच, फैजाबाद, फतेहपुर, महाराजगंज एवं सीतापुर जनपदों द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्यों कर प्राप्ति की गयी है। निदेशक महोदय द्वारा संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारियों की प्रशंसा की गई है। SEP-G के अन्तर्गत जनपद अमरोहा, मथुरा, मेरठ, रामपुर, शाहजहाँपुर, बरेली, फिरोजाबाद, अलीगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर, मऊनाथ भंजन एवं कानपुर नगर के परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि सार्थक प्रयास करके निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष रणनीति बनाकर लक्ष्य की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें। लक्ष्य की पूर्ति माह जनवरी, 2019 के अन्त तक पूरा ना होने पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

DAY-NULM के घटक स्वरोजगार कार्यक्रम के उपघटक (SHG-Bank Linkage) के अन्तर्गत जनपदों यथा शामली (कैराना), कानपुर देहात, चित्रकूट, बदायूँ, पीलीभीत, अमरोहा (गजरौला), अमरोहा (हसनपुर), चन्दौली, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर एवं सिद्धार्थ नगर जनपदों द्वारा शत प्रतिशत लक्ष्यों कर प्राप्ति की गयी है। निदेशक महोदय द्वारा संबंधित जनपदों के परियोजना अधिकारियों की प्रशंसा की गई है। इसके अतिरिक्त जनपद यथा मैनपुरी, अमरोहा, बरेली, झांसी, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मथुरा, बागपत, बड़ौत, बांदा, हमीरपुर, कन्नौज, महोबा, शाहजहाँपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, गोण्डा, कानपुर नगर, फतेहपुर, आजमगढ़, सुलतानपुर, फैजाबाद, अमेठी, बस्ती, भदोही (ज्ञानपुर), देवरिया एवं कुशीनगर जनपदों द्वारा द्वारा मानक से कम लक्ष्य की प्राप्ति की गई है, जिस पर निदेशक महोदय द्वारा परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सार्थक प्रयास करके निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष रणनीति बनाकर लक्ष्य की पूर्ति कराना सुनिश्चित करें। लक्ष्य की पूर्ति माह जनवरी, 2019 के अन्त तक पूरा न होने पर विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

इसके अतिरिक्त निम्न जनपदों द्वारा स्वरोजगार कार्यक्रम के उपघटकों में लक्ष्यों की प्रगति शून्य है, जिनका विवरण निम्नवत है:–

क्र0 सं0	SEP(I)	SEP(G)
1.	बिजनौर (चांदपुर, धामपुर), हमीरपुर (राठ), जालौन (कालपी)	बागपत, बड़ौत, बांदा, फर्रुखाबाद, हाथरस, जालौन (उरई), कन्नौज, कानपुर देहात, महोबा, अमेठी, बलरामपुर।
2.	झांसी (मऊरानीपुर), कन्नौज (छिबरामऊ)	देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, हरदोई, कौशाम्बी (मंझनपुर), कुशीनगर (पड़रौना), लखीमपुर खीरी।
3.	लखीमपुर खीरी (गोला गोखरन नाथ)	प्रतापगढ़, सन्तकबीर नगर (खलीलाबाद), सोनभद्र (राबर्टसगंज), सुलतानपुर, वाराणसी।

उपरोक्त जनपदों की प्रगति शून्य होने की दशा में निदेशक महोदय द्वारा घोर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। साथ ही यह निर्देश भी दिये गये है कि दिसम्बर तक के निर्धारित लक्ष्यों तथा माह जनवरी, 2019 तक के निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति तत्काल प्रभाव से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा इनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

इसके अतिरिक्त जिन शहरों के शहर मिशन प्रबन्धकों द्वारा वेब पोर्टल पर प्रदर्शित किये गये लाभार्थियों का सत्यापन एवं अनुमोदन नहीं किया गया है, उनके प्रति निदेशक महोदय द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति होने पर आबद्धता समाप्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

CB&T– DAY-NULM के घटक क्षतमा संवर्धन एवं प्रशिक्षण के अन्तर्गत समीक्षा बैठक में निम्नवत निर्देश दिये गये हैं:–

- जनपद बड़ौत (बागपत) के श्री विक्रान्त सिंह, शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा DAY-NULM के समस्त घटकों में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने की स्थिति एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में अपेक्षित प्रगति न किये जाने के दृष्टिगत इनका स्पष्टीकरण/नोटिस तत्काल प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिये गये है।
- जनपद फिरोजाबाद के श्री मनोज कुमार सिंह, शहर मिशन प्रबन्धक एवं जनपद चन्दौली के डा0 राजेश राय, शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा DAY-NULM के समस्त घटकों में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने की स्थिति एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में अपेक्षित प्रगति न किये जाने के दृष्टिगत इनका स्पष्टीकरण/नोटिस तत्काल प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिये गये है।
- जनपद बरेली की श्रीमती मनोरमा बिष्ट, शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में अपेक्षित प्रगति न किये जाने के दृष्टिगत इनका स्पष्टीकरण/नोटिस तत्काल प्रभाव से जारी करने के निर्देश दिये गये है।
- जनपद हाथरस के श्री मनीष गुप्ता, शहर मिशन प्रबन्धक द्वारा DAY-NULM के समस्त घटकों में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष लक्ष्यों की प्राप्ति न कर पाने की स्थिति एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में अपेक्षित प्रगति न किये जाने के कारण माह जनवरी, 2019 का वेतन रोके जाने के निर्देश दिये गये है।

"शहरी समृद्धि उत्सव" पखवाड़ा फरवरी, 2019:–

शहरी समृद्धि उत्सव पखवाड़ा फरवरी, 2019 की समीक्षा में पाया गया कि उक्त पखवाड़े का आयोजन निर्देशों के अनुसार सुचारु रुप से नहीं किया जा रहा है, न ही समय से रिपोर्ट प्राप्त हो रही है जिस पर असन्तोष व्यक्त करते हुए कड़े निर्देश दिये गये कि गठित स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न अन्य सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किये जाने हेतु सर्वेक्षण की रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध करायी जाए तथा लाभ न पाये समूहों के सदस्यों को लाभान्वित किये जाने हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय कर सभी SHG सदस्यों को भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किया जाये। लाभान्वित किये जाने का प्रमाण पत्र 01 फरवरी से 15 फरवरी, 2019 के मध्य विभिन्न समारोहों का आयोजन कर निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाय क्योंकि इस इवेन्ट को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी

गम्भीरता से लिया जा रहा है तथा भारत सरकार द्वारा प्रत्येक दिवस सघन समीक्षा की जा रही है, जिसमें विषम परिस्थितयों का सामना करना पड़ रहा है। निर्देशित किया गया कि सभी जनपद एन0यू0एल0एम0 से आच्छादित सभी शहरों के सर्वेक्षण के आकड़ों को चेक करके हिन्दी प्रारुप 01 पर प्रत्येक दशा में आगामी दो दिवसों में अपडेट कर दें, तथा सर्वेक्षण के अनुसार अलाभान्वित एस0एच0जी0 सदस्यों को तेजी से अपनी कार्य योजना (प्रारुप 2 हिन्दी) के अनुसार लाभान्वित करायें। कार्य योजना में लाभान्वित किये जाने वाले सदस्यों की योजनावार संख्या अंग्रेजी के Excel Format प्रारुप 3 में जायेगी और उसी को इस पखवाड़े का अनुमानित लक्ष्य मानते हुए लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अद्यतन 15 जनवरी, 2019 तक लाभान्वित हुए लाभार्थियों की योजनावार प्रगति प्रत्येक दशा में प्रत्येक सप्ताह प्रारुप 4 में आख्या उपलब्ध करायी जाये। असंगठित सफाई कर्मियों के स्वयं सहायता समूह सभी निकायों को अनिवार्य रुप से बनाने है। नगर निगम वाले शहर 25 समूह, नगर पालिका वाले 15–20 समूह तथा नगर पंचायत 5–10 समूह प्रत्येक दशा में गठन करायें। सफाई कर्मियों में महिलाओं अथवा पूरुषों के समूह भी बनाये जा सकते है। सभी निकायों को 1 से 15 फरवरी, 2019 के मध्य सफाई कर्मियों के कम से कम 5–10 समूहों को RF भी पखवाड़े में अवमुक्त किया जायेगा यदि कोई समूह 3 माह की अर्हता पूरी नहीं कर रहा होगा, तो RF चेक के माध्यम से दिया जायेगा, जिसमें चेक पर अर्हता पूर्ण करने के उपरान्त की तिथि होगी यानि अग्रिम तिथि का चेक दिया जायेगा तथा चेक तिथि में पूर्व सभी अर्हता नियमानुसार पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा। नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित प्रर्दशनी सह विक्रय हेतु लगने वाले मेले में प्रतिभाग वाले समूह के संबंध में तत्काल सक्सेस स्टोरी उपलब्ध करायी जाये।

शहरी समृद्धि उत्सव पखवाड़े के मध्य सभी शेल्टर होम कालेज से सम्बद्ध किये जाये। संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा निर्देश दिये गये है कि जिन शहरों में मेडिकल कॉलेज है, उन शहरों के शेल्टर होम भी सम्बद्धता मेडिकल कॉलेज से की जाये तथा समन्वय कर वहाँ के इनटर्नस की विजिट शेल्टर होम में करायी जाये, हेल्थ चेकअप व अन्य व्यवस्थाओं में भी उनका सुझाव लिया जाए।

शहरी समृद्धि उत्सव पखवाड़े के मध्य ऋणु के लम्बित प्रकरणों का निपटारा करा कर 1 से 15 फरवरी के मध्य स्वीकृत प्रमाण पत्र वितरित कराया जाये।

शहरी समृद्धि उत्सव पखवाड़े के मध्य शहरी पथ विक्रेताओं हेतु स्ट्रीट फूड फेस्विल आयोजित किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया, जिसके लिए 02 शहरों वाराणसी एवं प्रयागराज चयनित किये गये है। इस स्ट्रीट फूड फेस्विल के अन्तर्गत रोजगार मेलों का भी आयोजन किया जाना है। स्ट्रीट फूड फेस्विल के आयोजन के संबंध में भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी किये जाने है। उल्लेखनीय है कि वाराणसी एवं प्रयागराज शहरों को शहरी पथ विक्रेताओं को यहायता योजनान्तर्गत मॉडल टाऊन विकसित किये जाने के संबंध में निर्देश पूर्व मे जारी किये जा चुके है।

सभी शहरों को निर्देशित किया जाता है कि शहरी समृद्धि उत्सव पखवाड़े के मध्य नगर निकायों से समन्वय करते हुए शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीकरण करते हुए, पथ विक्रय प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र समारोह एवं बैठकों के आयोजन के माध्यम से वितरित किये जाये।

शहरी समृद्धि उत्सव पखवाड़े के मध्य भारत सरकार के निर्देशानुसार शहरी गरीबों को ई0एस0टी0 एण्डपी0 एवं स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार/लधु उद्यम उपलब्ध कराने हेतु मण्डर स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाये। मण्डल स्तर पर आयोजित किये जाने वाले रोजगार मेलों में मण्डल के सभी जनपदों से शहरी गरीबों को रोजगार मेलों के माध्यम से लाभान्वित किया जाये। मण्डल स्तर पर आयोजित होने वाले रोजगार मेलों हेतु मण्डल मुख्यालय पर स्थित डूडा/सी0एम0एम0यू0 द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन किया जाये।

शहरी समृद्धि उत्सव पखवाड़ा के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु मिशन निदेशालय द्वारा अद्यतन 8 से अधिक पत्रों के माध्यम से माध्यम से सभी को दिशा निर्देश एवं रिपोर्टिंग प्रपत्र भेजे गये है, के संबंध में निर्देश दिये गये कि उक्त पत्रों का अध्ययन कर सफलतापूर्वक **"शहरी समृद्धि उत्सव"** का आयोजन कराना सुनिश्चित करें तथा उक्त उत्सव का सुचारु रुप से अभिलेखीकरण कर आख्या सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध करायें ताकि उक्त आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सके। **"शहरी समृद्धि उत्सव"** के बृहद प्रचार एवं प्रसार के लिए शोसल मीडिया, समाचार पत्रों एवं रेडियों चैनलो का प्रयोग करते हुए जनमानस को जागरुक किये जाने के भी निर्देश दिये गये तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों के अनुसार इस कार्यक्रम की ब्राडिंग भारत सरकार के पत्र संख्या–O-17024/187/2018-UPA-UD (E-9051625) दिनांक 15 एवं 16 जनवरी, 2019 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये।

बी0एस0यू0पी0 / आई0एच0एस0डी0पी0 योजना–

बी0एस0यू0पी0 / आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत सभी सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जिन परियोजनाओं में आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है उनका कम्पलीशन सार्टीफिकेट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह में मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिन परियोजनाओं में आवास पूर्ण हो चुके है तथा आवंटन नहीं हुआ है, परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि उन परियोजनाओं में तत्काल आवंटन कराकर कब्जा आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये एवं अभिकरण मुख्यालय को सूचना भी प्रेषित की जाये।

(कार्यवाही सूडा / संबंधित डूडा / कार्यदायी संस्था)

राजीव आवास योजना–

राजीव आवास योजनान्तर्गत सम्बन्धित परियोजना अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि वे अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि के सापेक्ष लम्बित उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर शीघ्र उपलब्ध कराये जिससे कि भारत सरकार से द्वितीय किश्त प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को भी निर्देशित किया गया कि जिन शहरों में निर्माणकार्य बन्द हैं वहां शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराए।

(कार्यवाही–सूडा / संबंधित डूडा / कार्यदायी संस्था)

आसरा योजना–

- समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्था तथा परियोजना अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि जिन परियोजनाओं में आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है उनका तत्काल आवंटन सुनिश्चित कराते हुए उनका कार्य–पूर्ति प्रमाण पत्र एवं आवंटन पत्र निर्धारित प्रारूप पर एक सप्ताह में अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- सभी सम्बधित परियोजना अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया कि जिन परियोजनाओं में द्वितीय किस्त अवमुक्त की जानी है उनकी यू0सी0 / निरीक्षण आख्या, 19–कालम रिपोर्ट, फोटोग्राफ आदि सभी अभिलेख एक सप्ताह में मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- समीक्षा बैठक में परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे एक सप्ताह में जनपद स्तर पर लम्बित पुनरीक्षित मूल्यवृद्वि की डी0पी0आर0 एवं आवश्यक अभिलेख तैयार करा कर सी0 एण्ड डी0एस0 के माध्यम से एक सप्ताह में मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना

समीक्षा बैठक में निर्देशित किया गया कि मुख्य मंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अन्तर्गत जिन जनपदों ने अभी तक अभिकरण मुख्यालय को नहीं उपलब्ध करायी है वे एक सप्ताह में डी0पी0आर0 तैयार कर प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा बजट लैप्स होने की दशा में सम्बन्धित जनपद की जिम्मेदारी निर्धारित की जायेगी। इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि जनपद स्तर पर तैयार कराये गये प्रस्ताव जनपद की शासी निकाय से अवश्य अनुमोदित कराया जाय तथा जो प्रस्ताव बिना शासी निकाय के अनुमोदन के प्रेषित किये गये है उनमें भी शासी निकाय के अनुमोदन का प्रमाण–पत्र तीन दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सभी परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि रू0 3.00 करोड़ से 4.00 करोड़ धनराशि तक के प्रस्ताव / डी0पी0आर0 शासनादेश के अनुरूप तैयार कराते हुए तथा जिन जनपदों में वित्तीय वर्ष 2017–18 में धनराशि अवमुक्त की गयी है वे द्वितीय किश्त की प्राप्ति हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह में मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–संबंधित डूडा)

बैलन्सशीट

समीक्षा बैठक में वित्तीय वर्ष 2017–18 की बैलन्सशीट तैयार न हो पाने के दृष्टिगत परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे एक सप्ताह में बैलन्सशीट तैयार करा कर मुख्यालय को उपलब्ध करायें और यदि किसी जनपद में बैलन्सशीट में समस्या आ रही है तो संबंधित सी0ए0 को मुख्यालय से जनपद में निराकरण हेतु भेजा जाय।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

परियोजना 'अधिकारी, डूडा जो कि जनसूचना अधिकारी के रूप में भी नामित हैं हेतु मासिक समीक्षा बैठक में निम्नवत निर्देश निर्गत किये गये :–

1– अधिनियम के अनुसार आवेदक का आवेदन पत्र डूडा कार्यालय पर प्राप्त होने की तिथि से आवेदक को सूचना 30 दिवस के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दी जाये। इंगित किया गया कि अभिकरण मुख्यालय पर जिस संख्या में प्रथम अपीलें योजित हो रही हैं उसका मुख्य कारण समयावधि के भीतर उत्तर न दिया जाना दृष्टिगत है।

2– यदि आवेदक की सूचना संबंधित डूडा कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है तो संबंधित विभाग को आवेदन पत्र निर्धारित समयावधि में अन्तरित कर दिया जाये। ऐसा न करने पर प्रथम अपील या द्वितीय अपील की स्थिति आने पर संबंधित डूडा का दायित्व निर्धारित होने अथवा दण्डित होने की संभावना बन जाती है। सचेत किया गया कि विगत दिनों विभिन्न जिलों के पांच विविध प्रकरणों में राज्य सूचना आयुक्त कार्यालय के स्तर से 25–25 हजार रूपये जुर्माना लगाये जाने का प्रकरण सामने आया है। यह स्थिति जनपदीय डूडा के स्तर से समय से सूचना न देने, अपूर्ण सूचना देने या ऐसे ही कतिपय कारणों से उत्पन्न हुई है।

3– निर्देशित किया गया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र मिलने पर उसके द्वारा वांछित प्रपत्रों की छायाप्रतियॉं अथवा सी0डी0 इत्यादि की मांग निर्धारित समयावधि में कर ली जाये। प्रायः जनपद स्तर से निर्धारित समयावधि 30 दिवस के अन्दर आवेदक से अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित प्रति पृष्ठ अथवा प्रति सी0डी0 का शुल्क न मांगे जाने के कारण डूडा स्तर से सूचना देने पर आवेदक को निःशुल्क सभी प्रपत्र उपलब्ध कराने होते हैं जिसमें डूडा स्तर पर शिथिलता के कारण शासकीय व्यय उठाना पड़ रहा है।

4– इंगित किया गया कि राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रत्येक सोमवार को उस सप्ताह की समस्त आयुक्तों की सुनवाई संबंधी सूची प्रदर्शित कर दी जाती है। प्रत्येक डूडा के जनसूचना अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि उनके कार्यालय से संबंधित कोई प्रकरण सुनवाई हेतु सूचीबद्ध तो नहीं हुआ है।

5– राज्य सूचना आयोग में परिवाद सूचीबद्ध होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का प्रयास करें। किसी विशेष परिस्थिति में अनुपस्थिति का समुचित कारण दर्शाते हुए लिखित रूप से अधिकृत सक्षम कार्मिक को सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–परियोजना अधिकारी, संबंधित डूडा/नोडल अधिकारी जनसूचना, सूडा)

जनसुनवाई (आई0जी0आर0एस0)–

समीक्षा बैठक में **आई0जी0आर0एस0** प्रणाली के अन्तर्गत परियोजना अधिकारियों को जनसुनवाई से सम्बन्धित अन्तरित/लम्बित प्रकरणों को एक सप्ताह में निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये। जनसुनवाई से सम्बन्धित प्रकरणों के संबन्ध में प्रति दिन पोर्टल को चेक करने एवं शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये गये। यह भी निर्देश दिये गये कि मुख्यमंत्री संदर्भ जिलाधिकारी अथवा परियोजना निदेशक के हस्ताक्षर से प्रेषित किये जाये। **(कार्यवाही–संबंधित डूडा/सूडा)**

Umesh 21/11/2019

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक–9762/110/तीन/97 Vol-VII   दिनांक–22/01/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
3. निदेशक कैम्प/अपर निदेशक कैम्प वित्त नियंत्रक कैम्प, सूडा।
4. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, एन0यू0एल0एम0 शहर।
8. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
9. श्री योगेश आदित्य, सहा0परि0अधि0/वेब मास्टर, सूडा को सूडा की वेबसाइट **www.sudaup.org** पर अपलोड करने हेतु।

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक